उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद

कार्यालय–म0सं0–01, लेन नं0–06, पुष्प कुंज कॉलोनी, मोथरावाला रोड़, देहरादून–248121

फोन स0 0135–2975030

uttarakhandparamedicalcouncil3@gmail.com

पत्रांकः–र–20/उ0परा0चि0प0/124/2022/19618 दिनांक 31 जनवरी, 2025

सेवा मे

प्राचार्य/प्रधानाचार्य,
कोर कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साईन्सेज (सेठ रोशनलाल जैन ट्रस्ट),
वर्धमानपुरम, रूडकी, हरिद्वार।

विषय– **उत्तराखण्ड राज्य में परा–चिकित्सकीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में परा–चिकित्सकीय पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2009 की धारा 20 एवं उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद विनियम, 2014 के विनियम 17 भाग–ग के उपविनियम 06 पैरा 08 (आठ) के कम में उत्तराखण्ड राज्य में संचालित निजी/सरकारी पैरा–मेडिकल विश्वविद्यालय/संस्थान में परा–चिकित्सकीय पाठ्यकमों के संचालन हेतु उत्तराखण्ड परा–चिकिसा परिषद कार्यालय के पत्रांक–र–20/उ0परा वि0प0/124/2022/19507 दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 के कम में दिनांक 14.12.2024 को संस्थान का निरीक्षण दल द्वारा स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।

2– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, के शासनादेश संख्या–02/XXVIII(6)2022–09(पैरा0)/2021 दिनांक–03 जनवरी 2022 व शासनादेश संख्या–442/XXVIII–6/73791/2024 दिनांक–28 नवम्बर, 2024 द्वारा संस्थान को निम्नलिखित परा–चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालनार्थ अनापत्ति/अनुमति प्रदान की गई हैः–

क्र0सं0	संस्थान का नाम	स्वीकृत पाठ्यक्रम	पूर्व से स्वीकृत सीटों की संख्या	शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु सीट वृद्धि	कुल सीटों की संख्या
01	कोर कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साईन्सेज (सेठ रोशनलाल जैन ट्रस्ट), वर्धमानपुरम, रूडकी, हरिद्वार।	बी0एम0एल0टी0	30	–	30
		बी0पी0टी0	30	–	30
		बी0एम0आर0आई0टी0	30	–	30
		एम0एस0सी0एम0एल0टी0 (नवीन पाठ्यकम)	–	30	30
		एम0पी0टी0 (Obs&Gynee-15) (ortho-15) (Nruro-15) (Sports-15) (Physio-15) (नवीन पाठ्यकम)	–	75	75

3– उपरोक्तानुसार संस्थान द्वारा उक्त 05 पाठ्यकमों के वर्ष 2024–25 में संचालनार्थ मान्यता हेतु परिषद कार्यालय में किये गये आवेदन के कम में इस हेतु निरीक्षण दल द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त दस्तावेज, शपथ पत्र एवं दी गई संस्तुति के आधार पर संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु उक्त परा–चिकित्सकीय पाठ्याकमों के संचालन हेतु अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

4– आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो संस्थान का स्थलीय औचक निरीक्षण किया जाएगा। उक्त दस्तावेजों के अनुसार व्यवस्थायें पूर्ण नहीं पायी जाती है तो इस सम्बन्ध में नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय

सचिव/रजिस्ट्रार

उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद।